

## ऑनलाइन काउन्सेलिंग की प्रक्रिया

बी.सी.ई.सी.ई., बोर्ड द्वारा आयोजित की जानेवाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर मेधा-सह-विकल्प के अनुसार सीट आवंटन के लिये काउन्सेलिंग Offline mode से की जाती है । अब इस काउन्सेलिंग को Online mode द्वारा आयोजित किये जाने की Planning है ।

Online Counselling के लिये निम्नवत् प्रक्रिया को अपनाने की व्यवस्था वांछित होगी ;

- (i) Online Counselling के लिये Valid अभ्यर्थियों का Registration / Option ।
- (ii) प्राथमिकता अनुसार संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार Option list प्रत्येक Valid registered candidate द्वारा जमा करना ।
- (iii) प्राथमिकता अनुसार Final option list LOCK करना ।
- (iv) BCECE, Board के Requirements और आवंटन प्रक्रिया के अनुसार Online Counselling mode से Seat allotment के लिये उपयुक्त software तैयार करना ।
- (v) प्राथमिकतानुसार अन्तिम Option list के आधार पर मेधाक्रमवार Seat आवंटन करना ।
- (vi) Provisional seat allotment order उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।
- (vii) BCECE Board द्वारा निर्धारित Ruls / Regulations के अनुसार जिन अभ्यर्थियों को Provisional seat allotment हो गया उनके documents / Identity की सम्यक जाँच करना
- (viii) अभ्यर्थी / संस्थान द्वारा नामांकन की सम्पुष्टि करना ।
- (ix) First round online counselling के आधार पर नामांकन उपरान्त Vacant Seats पर 2nd round online counselling / allotment किया जायेगा ।

## बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, पर्षद

### Polytechnic Stream के College के लिये Allotment प्रक्रिया ।

1. सीटों का आवंटन करने के लिये सबसे पहले Unit Decide कराना अतिआवश्यक है ।
  1. Govt. Polytechnic Colleges
  2. Govt. Women Polytechnic Colleges
  3. पाठ्यक्रमवार / संस्थानवार कुल सीट के 5% अतिरिक्त सीटों पर Economically Backward
  4. Private Polytechnic College

इस प्रकार 4 यूनिट बनाकर Allotment प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है ।

2. सीटों का आवंटन में बिहार के आरक्षण के नियमों के अनुसार अनारक्षित कोटि को कुल सीट का 50%., अनुसूचित जनजाति को 1%, अनुसूचित जाति को 16%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को 18%, पिछड़ा वर्ग को 12% , आरक्षित वर्ग के महिला 03%, दिव्यांग के लिये कुल सीट में 5%. तथा इसके साथ सैनिक कर्मचारी कोटा का भी आवंटन होता है ।
3. अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटि के निम्न क्रम में संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीट वितरण विवरणी के अनुसार (उदाहरण स्वरूप डी.सी.ई.सी.ई.-2017 की विवरणी संलग्न है) सीट आवंटन के लिये बुलाया जाता है

Disabled Quota (DQ)

Service Men's Quota (SMQ)

Unreserved

SC

ST

EBC

BC

RCG

**Govt. Polytechnic संस्थानों में सीट आवंटन हेतु Allotment प्रक्रिया :-**

1. वैसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षा परिणाम Polytechnic Open के साथ Polytechnic Women में भी अंकित होगा, वे Polytechnic एवं महिला Polytechnic के अंतर्गत सभी संस्थान एवं पाठ्यक्रमों के लिए संस्थान / सीट आवंटन हेतु पात्रता प्राप्त होंगे ।
2. वैसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षा परिणाम केवल महिला Polytechnic में है वे सिर्फ महिला

Polytechnic के अंतर्गत सभी संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों के लिए संस्थान / सीट आवंटन हेतु पात्रता प्राप्त होंगे ।

3. वैसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षा परिणाम केवल Polytechnic Open में है वे सिर्फ Polytechnic open के अंतर्गत सभी संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों के लिए संस्थान / सीट आवंटन हेतु पात्रता प्राप्त होंगे ।

4. सीटों का आवंटन उपरोक्त वर्णित क्रम के अनुसार एवं Merit-cum-Choice के आधार पर ही किया जाना है ।

**(i) दिव्यांग कोटा** - चूंकि DQ. Category की सीटें उपलब्ध Total Seat में ही समाहित रहती हैं ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी जिस अनारक्षित / आरक्षित कोटि से सम्बन्धित होते हैं, उन्हें उसी अनारक्षित / आरक्षित के सीट पर आवंटन किया जाता है । (उदाहरण स्वरूप यदि DQ Category का कोई अभ्यर्थी BC कोटि का है, तो उसे BC कोटि की सीट पर आवंटन होगा ।) आरक्षित कोटि में सीट नहीं रहने पर Unreserved सीट पर आवंटन किया जाता है । Allotment के पश्चात् यदि DQ की सीटें बची रह जाती हैं, तो होने वाली अगली काउन्सेलिंग के लिये उतनी ही सीटें Unreserved Category में Block रखी जाती हैं ।

वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनका परीक्षा परिणाम DQ. Category के अतिरिक्त, सामान्य कोटि या आरक्षित कोटि के Result में हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका आवंटन पहले DQ. Seat पर merit-cum-choice के आधार पर होगा । उसके बाद उसी अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि / आरक्षित कोटि की काउन्सेलिंग में यदि DQ Counselling से आवंटित कोर्स से कोई Better Choice मिलता है तो उसको सीट आवंटित होगा, नहीं तो उनका DQ-Counselling में आवंटित सीट यथावत रह जायेगी । यदि उनका आवंटन DQ Counselling में होने के पश्चात् अन्य (सामान्य / आरक्षित) कोटि में होता है, तो ऐसी स्थिति में छोड़ी गयी DQ का सीट अगली काउन्सेलिंग के लिये खाली रह जायेगा ।

**Note:** Govt. Polytechnic Engineering संस्थानों में से तीन संस्थान यथा N.G.P., Patna-13, G.P., Saharsa, G.P., Gopalganj के कुछ Course में Additional DQ की सीटें रखी गयी हैं जो 5% DQ की सीट के अलावे हैं । इसे DQ अभ्यर्थियों द्वारा Normal Seat DQ में Choice नहीं मिलने पर Merit-Cum-Choice के आधार पर दिया जाता है । DCECE-2018 की Seat Matrix के Column जिसका नाम है (Additional DQ Seat) में देखा जा सकता है । ये सीटें नहीं भरने पर Dereserved नहीं होंगे, यथावत रिक्त रह जायेंगे।

**(ii) सैनिक कोटा**- दिव्यांग कोटा के लिये अपनायी जाने वाली Allotment प्रक्रिया के अनुरूप ही सैनिक कोटे की Allotment प्रक्रिया अपनायी जाती है ।

( iii ) **Unreserved (अनारक्षित) कोटि :-** अनारक्षित कोटी के अभ्यर्थियों के लिये Course / Institution का आवंटन **Merit-Cum-Choice** के आधार पर उनके द्वारा Registration की गयी Option list के अनुसार किया जायेगा । ,

अनारक्षित कोटि की Merit List में आरक्षित कोटी के जो अभ्यर्थी अपने Merit के अनुसार सम्मिलित रहते हैं उनको Meritorious Reserved Candidate अर्थात MRC Candidate कहा जाता है । ऐसे MRC अभ्यर्थियों को यदि अनारक्षित कोटि में choice के अनुसार सीट उपलब्ध नहीं है तो वांछित Choice के लिये उनसे सम्बन्धित आरक्षित कोटि की वांछित सीट का आवंटन कर दिया जाता है । इस प्रकार के Case को MRC Candidate द्वारा Jump Over Case कहा जाता है । इस प्रकार एक Jump Over के लिये अनारक्षित कोटि की एक सीट नीचे से Compensation के लिये Block रखी जाती है ।

यदि SC,ST,EBC,BC, और RCG कोटियों में MRC Jump के कारण अनारक्षित कोटि में नीचे से कोटिवार Block की गई सीटें क्रमशः  $X_1 X_2 X_3 X_4 X_5$  हो तो कुल Block सीटें  $X_T$  होंगी जबकि

$$X_T = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5$$

**Note:-** MRC Grills अभ्यर्थियों के लिये वांछित Course / Institution की उपलब्धता हेतु क्रमशः अनारक्षित एवं सम्बन्धित आरक्षित कोटि तथा RCG कोटि में जाँच की जाय ।

( iv ) **आरक्षित कोटि :-** आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिये उनकी सम्बन्धित आरक्षण कोटि की Merit List से मेधा क्रम के अनुसार Option list की प्राथमिकता आधारित Course / Institution आवंटित किया जायेगा ।

उपरोक्त सीट आवंटन के लिये उपलब्ध सीटें निम्नवत् होंगी ।

Category	Seat available for option	No. of Seats to be allotted
SC	Available Vacancies in SC Category + $X_T$	Available Vacancies + $X_1$
ST	Available Vacancies in ST Category + ( $X_T - X_1$ )	Available Vacancies + $X_2$
EBC	Available Vacancies in EBC Category + ( $X_T - X_1 - X_2$ )	Available Vacancies + $X_3$
BC	Available Vacancies in BC Category + ( $X_T - X_1 - X_2 - X_3$ )	Available Vacancies + $X_4$
RCG	Available Vacancies in	Available Vacancies + $X_5$

RCG Category +(X<sub>T</sub>-X<sub>1</sub>-X<sub>2</sub>-X<sub>3</sub>-X<sub>4</sub>)

**5. पाठ्यक्रमवार / संस्थानवार कुल सीट के 5% अतिरिक्त सीटों पर Economically Backward अभ्यर्थियों का सीट आवंटन ।**

(i) जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता / अभिवावक ( माता-पिता के नहीं रहने पर) की वार्षिक आय 4.5 लाख से कम हो उनका ही मेधा-सह विकल्प के आधार पर संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार वितरण की गयी 5% अतिरिक्त Economical Backward Seat पर आवंटन किया जाता है ।

(ii) उपरोक्त सीट आवंटन कंडिका 4 में वर्णित अनारक्षित SC, ST, EBC, BC, RCG कोटियों के लिये निर्धारित संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीट आवंटन के साथ-साथ चलता है । अर्थात Economically Backward Candidate के Choice List की प्राथमिकता की जाँच संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीट आवंटन हेतु Normal Seat वितरण विवरणी में सीट उपलब्ध नहीं रहने पर Economically Backward 5% सीट की वितरण विवरणी के अनुसार सीट उपलब्धता देखी जाती है ।

(iii) मुख्य सीट वितरण विवरणी के अनुसार संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीट आवंटन करने में कंडिका 4.3 में वर्णित Jump Over Case के Compensation हेतु जो Process अपनाया जाता है वही Process Economically Backward 5% अतिरिक्त सीट के वितरण विवरणी के अनुसार संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीट आवंटन करने में भी अपनायी जाती है ।

**6. Private Polytechnic संस्थानों यथा Exalt College of Polytechnic, Prabha Kailash Polytechnic एवं J.P.Institute of Technology के लिये सीट आवंटन प्रक्रिया ।**

तीनों Private Polytechnic संस्थानों यथा Exalt College में कुल 4 (चार), Prabha Kailash Polytechnic में कुल 5(पाँच) एवं J.P.Institute of Technology में कुल 3(तीन)पाठ्यक्रम है ।

अतः सीट आवंटन के लिये Exalt College of Polytechnic , Prabha Kailash Polytechnic एवं J.P.Institute of Technology की संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीट वितरण-विवरणी के अनुसार मेधाक्रमवार सीट आवंटन की प्रक्रिया वही रहेगी जो Govt. Polytechnics की संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार Normal seat वितरण विवरणी के अनुसार सीट आवंटन के लिये अपनायी जाती है । चूँकि उपरोक्त तीनों निजी संस्थानों में कुल मिलाकर 12 पाठ्यक्रम है इसलिये Jump Over Case होगा ।